न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 88 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 03.12.2024

रामदेव पुत्र सुवालाल जाति बैरवा निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज. उचित मूल्य दुकानदार पचेवर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राज.

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.10.2024 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः—

1. श्री मूलचन्द बैरवा, अभिभाषक —अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार —रेस्पाडेन्ट

निर्णय

दिनांकः—07.10.2025

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 28.10.2024 से श्री रामदेव बैरवा,उचित मूल्य दुकानदार पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट ने व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात् दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोस मशीन से ऑनलाइन वितरण के कारण उपभोता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है। उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण जिला रसद अधिकारी टोंक के

जिला कलेक्टर
टोंक

निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा दिनाक 04.04.2024 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में दुकान की जांच की गयी जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा अपने आदेश दिनाक 05.04.2024 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलबित किया जाकर प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमे जबाव हेतु आगामी तारीख पेशी 24.04.2024 नियत की गयी। जिसका विस्तृत जबाव मय साक्ष्य सबूत दिनाक 24.04.2024 को प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि प्रार्थी के पास वक्त निरीक्षण स्टॉक के अनुसार गेहूँ मौजूद था लेकिन जांच दल द्वारा प्रार्थी के मूल गोदाम की जांच नहीं की जाकर अतिरिक्त गोदाम की जांच की गयी जबकि प्रार्थी के मूल गोदाम व अतिरिक्त गोदाम में स्टाक के अनुसार गेहूँ मौजूद था लेकिन जांच दल द्वारा आनन–फानन में प्रार्थी की गैर मौजूदगी में जांच की गयी। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.12.2023 को जिला रसद अधिकारी, टोक को पत्र प्रेषित कर विभाग द्वारा प्रार्थी की पोस मशीन में कोविड के समय अधिक चढ़ाये गये गेहूँ को दुरस्त करने बाबत् निवेदन किया गया था। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी टोक द्वारा प्रार्थी की पोस मशीन में अधिक चढ़ाये गये गेहूँ को दुरूस्त नहीं किया बल्कि बिना किसी उचित जांच के प्रार्थी के ऊपर गेहूँ के दुरूपयोग का आरोप लगाया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 का जबाव प्रस्तुत करने के पश्चात् जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 08.07.2024 को प्रार्थी को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसमें प्रवर्तन अधिकारी टोक द्वारा प्रस्तुत स्टॉक स्थानान्तरण रिपोर्ट के अनुसार 34.99 क्विण्टल गेहूँ अटैच डीलर को सुपुर्द नहीं किये जाने बाबत् आरोप अंकित कर दिनांक 18.07.2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया जिसका उचित एवं विस्तृत जबाव मय साक्ष्य सबूत प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.07.2024 को प्रस्तुत कर दिया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि प्रार्थी को जून–जुलाई 2018 में क्रय विक्रय सहकारी समिति मालपुरा के द्वारा अधिक गेहूँ भेजा गया जिसको प्रार्थी द्वारा प्रवर्तन अधिकारी टोक द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 35 क्विण्टल गेहूँ मोहन लाल वैष्णव पोस कोड नं. 2475 को अप्रैल 2020 में सुपुर्द कर दिया लेकिन विभाग द्वारा उक्त सुपुर्द किये गये गेहूँ को प्रार्थी की पोस मशीन संख्या 2531 से कम नहीं किया गया एवं उक्त गेहूँ प्रार्थी की मशीन में निरन्तर शो हो रहा था इस बाबत् प्रार्थी द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से जिला रसद अधिकारी टोंक को अवगत करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनाक 08.07.2024 का जबाव प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिला रसद अधिकारी टोंक ने प्रवर्तन अधिकारी मालपुरा से रिपोर्ट तलब किये जाने के उपरान्त प्रवर्तन अधिकारी मालपुरा द्वारा दिनांक 22.10.2024 को अपनी रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी, टोंक को प्रेषित की जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही प्रार्थी की अनुपस्थिति में अपने आदेश दिनांक 28.10.2024 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है। बरवक्त जांच प्रार्थी के गोदाम में स्टॉक के अनुसार रसद सामग्री मौजूद थी लेकिन जांच दल द्वारा बिना किसी उचित माप–तौल के ही अंदाजन रसद सामग्री की गणना की जाकर प्रार्थी के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित माना है। प्रार्थी द्वारा 34.99 क्विंटल गेंहू को अटैच डीलर मोहन लाल वैष्णव को पूर्व में ही सुपुर्द कर दिया। जिसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत कर दी गई। प्रार्थी का एकमात्र रोजगार यह दुकान है। प्रार्थी के उपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है एवं प्रार्थी के उपर गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि तत्कालीन जिला रसद अधिकारी टोंक व प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 04.04.2024 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण करने पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितता करना पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार की पॉस मशीन में दर्ज उपलब्ध स्टॉक 14265.5 किलोग्राम था जबकि मौके पर भौतिक सत्यापन पर मात्र 700 किलोग्राम गेहूँ पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में दुकान पर 13565.5 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया जिसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मौके पर प्राधिकार पत्र एवं प्रमाणित नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। दुकान पर मूल्य सूची एव स्टॉक सूचना बोर्ड का प्रर्दशन नहीं किया जाना पाया गया। दुकान के बाहर उपभोक्ता पखवाडे से सम्बन्धित सूचना का अंकन नहीं किया जाना पाया गया। उपभोक्ताओं को मौके पर वितरण की प्राप्ति रसीद नहीं दी जा रही थी। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 8,5,10 एवं 11 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर कार्यालय आदेश क्रमांक अभियोजन/2024/648 दिनांक 05.04.2024 द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर किया गया एवं कारण बताओ नोटिस क्रमांक/अभियोजन/658 दिनांक 05.04.2024 जारी कर अनियमितता का आगामी सुनवाई दिनांक 24.04.2024 को स्पष्टीकरण चाहा गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा दिनांक 24.04.2024 को बिन्दूवार जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया। जिस गोदाम का निरीक्षण किया गया था वह अतिरिक्त गोदाम था क्योकि मुख्य गोदाम में जगह नहीं होने के कारण अतिरिक्त गोदाम में मुख्य गोदाम से गेहूँ लाकर वितरण करता था जिसका निरीक्षण नहीं किया गया जो कम गेहूँ था वह उसी में रखे हुए थे। गोदाम में चूहों के डर से प्राधिकार पत्र एवं नक्शा मौजूद नहीं था। नक्शा व प्राधिकार पत्र मुख्य गोदाम की आलमारी में रखे हुए थे। अतिरिक्त गोदाम होने के कारण वहाँ सिर्फ लोहे के फ्रेम में पोस्टर पर ही मूल्य सूची एवं स्टॉक सूचना बोर्ड प्रदर्शन किया हुआ था जो मुख्य गोदाम में लिखा हुआ है।उपभोक्ता पखवाडे से सम्बन्धित सूचना का अंकन भी मुख्य गोदाम पर ही अंकित है। पॉस मशीन का प्रिन्टिंग पार्ट खराब होने के कारण पूरी तरह प्रिन्ट नहीं कर रही थी इसलिए रसीद नहीं दी जा रही थी। नयी मशीन लेने के लिए उसे ठीक नहीं करवाया गया। रजिस्टर भर जाने के कारण नया रजिस्टर बनाया गया था किन्तु वितरण चालू करने से स्टॉक संधारण करने के लिए घर पर ही रख दिया था उस दिन दुकान पर नहीं लेकर गया। निरीक्षण दिनांक को वह पारिवारिक कारणों से बाहर गया हुआ था और वितरण का कार्य उसका पुत्र कर रहा था इसलिए इन सभी बातों का उसे पता नहीं था दुबारा निरीक्षण पर सभी वस्तुये/दस्तावेज मिल जायेगी,परन्तु दुकान की जांच दिनाक 04.04.2024 को भौतिक सत्यापन में 13565.5 किलोग्राम गेहूँ कम पाये गये थे। अप्रार्थी डीलर का कथन है कि उसके द्वारा अटेच डीलर को गेहूँ सम्भला दिये गये थे। बाद में अटेच डीलर को सामग्री सम्भलाना Reaction after action I.e. after thought की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी डीलर द्वारा दिनांक 13.06.
2024 को पौस मशीन में उपलब्ध स्टॉक 18299 किलोग्राम के विरुद्ध केवल 14800 किलोग्राम गेहूं ही सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा अटेच डीलर को कुल 3499 किलोग्राम गेहूं नहीं दिया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा 3499 किलोग्राम गेहूँ का गबन किया जाना पाया गया था। अप्रार्थी डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8,5,10 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत

जिला कलेक्टर
टोंक

दण्डनीय अपराध है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। तत्कालीन जिला रसद अधिकारी टोंक व प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 04.04.2024 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण करने पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितताएं पाई गई। उचित मूल्य दुकानदार की पॉस मशीन में दर्ज उपलब्ध स्टॉक 14265.5 किलोग्राम था जबकि मौके पर भौतिक सत्यापन पर मात्र 700 किलोग्राम गेहूँ पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में दुकान पर 13565.5 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया जिसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मौके पर प्राधिकार पत्र एवं प्रमाणित नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। दुकान पर मूल्य सूची एव स्टॉक सूचना बोर्ड का प्रर्दशन नहीं किया जाना पाया गया। दुकान के बाहर उपभोक्ता पखवाडे से सम्बन्धित सूचना का अकन नहीं किया जाना पाया गया। उपभोक्ताओं को मौके पर वितरण की प्राप्ति रसीद नहीं दी जा रही थी। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना पाया गया। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया एवं अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनियमितता का बिन्दुवार जवाब मांगा गया। डीलर द्वारा दिनांक 24.04.2024 को बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है। जिस गोदाम का निरीक्षण किया गया था वह अतिरिक्त गोदाम था क्योकि मुख्य गोदाम में जगह नहीं होने के कारण अतिरिक्त गोदाम में मुख्य गोदाम से गेहू लाकर वितरण करता था जिसका निरीक्षण नहीं किया गया जो कम गेहूँ था वह उसी में रखे हुए थे। गोदाम में चूहों के डर से प्राधिकार पत्र एवं नक्शा मौजूद नहीं था। नक्शा व प्राधिकार पत्र मुख्य गोदाम की आलमारी में रखे हुए थे। अतिरिक्त गोदाम होने के कारण वहाँ सिर्फ लोहे के फ्रेम में पोस्टर पर ही मूल्य सूची एवं स्टॉक सूचना बोर्ड प्रदर्शन किया हुआ था जो मुख्य गोदाम में लिखा हुआ है।उपभोक्ता पखवाडे से सम्बन्धित सूचना का अंकन भी मुख्य गोदाम पर ही अकित है। पॉस मशीन का प्रिन्टिंग पार्ट खराब होने के कारण पूरी तरह प्रिन्ट नहीं कर रही थी इसलिए रसीद नहीं दी जा रही थी। नयी मशीन लेने के लिए उसे ठीक नहीं करवाया गया। रजिस्टर भर जाने के कारण नया रजिस्टर बनाया गया था किन्तु वितरण चालू करने से स्टॉक संधारण करने के लिए घर पर ही रख दिया था उस दिन दुकान पर नहीं लेकर गया। निरीक्षण दिनांक को वह पारिवारिक कारणों से बाहर गया हुआ था और वितरण का कार्य उसका पुत्र कर रहा था इसलिए इन सभी बातों का उसे पता नहीं था दुबारा निरीक्षण पर सभी वस्तुये/दस्तावेज मिल जायेगी। डीलर के उक्त जवाब को सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता क्योंकि उचित मूल्य दुकान–निरीक्षण प्रपत्र रिपोर्ट दिनांक 04.04.2024 के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नही किया जाना पाया गया का उल्लेख किया है। मुख्य गोदाम मे जगह नही होने के कारण अतिरिक्त गोदाम मे मुख्य गोदाम से गेहूँ लाकर वितरण करता था कि जानकारी डीलर द्वारा कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक/प्रवर्तन निरीक्षक मालपुरा को देनी चाहिये थी। दुकान पर मूल्य सूची, स्टॉक सूचनाओं का इन्द्राज हो रखा था तो बोर्ड दुकान के बाहर लगा होना चाहिये था। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर ने विभागीय दिशा–निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया है तथा 3499 किलोग्राम गेहूँ का दुरूपयोग किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। दिनाक 04.04.2024 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में

जिला कलेक्टर
टोंक

दुकान की जांच की गयी। निरीक्षण के समय गोदाम में स्टॉक के अनुसार रसद सामग्री मौजूद थी लेकिन जांच दल द्वारा बिना किसी उचित माप-तौल के ही अंदाजन रसद सामग्री की गणना की है। प्रार्थी (डीलर)द्वारा 34.99 क्विंटल गेहूँ को अटैच डीलर को पूर्व में ही सुपुर्द कर दिया गया है,परन्तु जिला रसद अधिकारी की आदेशिका दिनांक 24.04.2024 व 08.05.2024 पर डीलर के हस्ताक्षर है,जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। उचित मूल्य दुकान-निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 04.04.2024 पर प्रहलाद के हस्ताक्षर है जो अप्रार्थी (डीलर) का पुत्र है। निरीक्षण के समय माप-तोल जांच दल द्वारा सही नही किया गया था तो तत्समय ही अप्रार्थी (डीलर) के पुत्र द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष लिखित मे आपत्ति कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो। इस प्रकार का प्रार्थना पत्र पत्रावली मे उपलब्ध नही है।प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 20.06.2024 को जिला रसद अधिकारी कार्यालय टोंक मे प्रस्तुत स्टॉक स्थानान्तरण रिपोर्ट का अवलोकन करने से विदित होता है कि डीलर द्वारा अटैच उचित मूल्य दुकानदार को 3499 किलोग्राम गेहूँ नही दिया गया है।

जिला रसद अधिकारी टोंक व प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 04.04.2024 को डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण दो स्वतंत्र गवाह उत्तम लाल बैरवा व रामचरण बैरवा तथा स्वंय के पुत्र (प्रहलाद) की उपस्थिति मे किया गया है। उचित मूल्य दुकान-निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 04.04.2024 पर दोनो स्वतंत्र गवाह व पुत्र के हस्ताक्षर है। प्रहलाद स्वंय डीलर का पुत्र है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दुकान का निरीक्षण दोनो स्वतंत्र गवाह व डीलर के पुत्र के समक्ष किया गया है। डीलर द्वारा अटैचमेंट डीलर को 3499 किलोग्राम गेहूँ का स्टॉक नही सम्भलाया गया है।

वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितता करना पाया गया।

1- उचित मूल्य दुकानदार की पॉस मशीन में दर्ज उपलब्ध स्टॉक 14265.5 किलोग्राम था जबकि मौके पर भौतिक सत्यापन पर मात्र 700 किलोग्राम गेहूँ पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में दुकान पर 13565.5 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया जिसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

2-यह है कि मौके पर प्राधिकार पत्र एवं प्रमाणित नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया।

3-यह है कि दुकान पर मूल्य सूची एव स्टॉक सूचना बोर्ड का प्रर्दशन नहीं किया जाना पाया गया।

4- यह है कि दुकान के बाहर उपभोक्ता पखवाडे से सम्बन्धित सूचना का अकन नहीं किया जाना पाया गया।

5- यह है कि उपभोक्ताओं को मौके पर वितरण की प्राप्ति रसीद नहीं दी जा रही थी।

6- यह है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना पाया गया।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ का उपभौक्ताओ को वितरण ना कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो की अवहेलना की है। चूकिं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य आम गरीब जन से जुडा हुआ है। आम उपभोक्ता की सहज मे सूचनाये अंकित होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। उचित मूल्य दुकानदार ने राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त का उल्लंघन है। जो कि आवश्यक वस्तु

कार्यालय जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर
टोंक

अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 28.10.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक